न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—45/2019
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धाराः—251 ए आरटीए

1. हरप्रीत सिह पुत्र इकबाल सिह जाति जटसिख साकिन 7 जे.डी.डब्ल्यू हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. केवल सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख साकिन सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हरजिन्द्र सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख साकिन चक हीरासिहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. जसवीर सिह पुत्र दयाल सिह जाति जटसिख साकिन 5 जे.डी.डब्ल्यू हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. अनमोल सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जटसिख साकिन चक हीरासिहवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थी

उपस्थित :—

श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ता 4

निर्णय **दिनांकः— 19.7.2019**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के नाम से वाके तहसील संगरिया के चक न. 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 एकल खाता पं.नं. 180/140 मु.न. 63 किला नं. 15/2/0.202 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है। नकल वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2070—73 हमराह प्रार्थना पत्र के है।

प्रार्थी उपरोक्त भूमि मुख्य मूंजर शुद्वा सड़क मार्ग से तीन किला दूर है जो अप्रार्थीगण की भूमि चक 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 एकल खाता पं.नं. 180/140 मु.नं. 63 किला नं. 12,13,14/0.759 है. जिसके मालिक व काबिज अप्रार्थीगण है।

प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक नं. 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 पं.नं. 180/140 मु.न. 63 किला नं. 15/2 में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि मे से उनकी रजामन्दी से आता जाता रहा है लेकिन रास्ता मंजूर शुद्वा नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 मुझ प्रार्थी को अपनी—अपनी चक नं. 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 एकल खाता पं.नं. 180/140 मु.नं. 63 किला नं. 12,13,14 मे से तीन—तीन बिस्वा (साईज 25X165) प्रत्येक किला मे से देने को तैयार है जिसके बदले में मै प्रार्थी राजकीय

जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दरों अनुसार मुआवजा राशि दने को तैयार हूँ अथवा माननीय न्यायालय के आदेशो के अनुरूप रास्ते की भूमि की कीमत अदा करने को तेयार हूँ।

प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की चक नं. 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 पं.नं. 180/140 मु.नं. 63 किला नं. 12,13,14 प्रत्येक किला मे से तीन–तीन बिस्वा (साईज 25X495) रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज करवाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं तहसीलदार संगरिया से मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/386 दिनांक 21.05.2019 द्वारा अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण बिना किसी प्रतिफल के रास्ता देने हेतु सहमत होना है एवं अप्रार्थीगण की सहमति अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक नं. 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 पं.नं. 180/140 मु.नं. 63 किला नं. 12,13,14 प्रत्येक किला मे से तीन–तीन बिस्वा (साईज 25X495) जगह वास्ते रास्ता हेतु दे दी है जिसके प्रतिफल एवं मुआवजा स्वरूप कुल तैय शुद्वा राशि पंजीयन विभाग डीएलसी अनुसार दोगुणा राशि प्राप्त कर ली है का कथन करते हुए उक्त भूमि में रास्ता देने स्वीकृत करने हेतु अपना राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। तथा राजीनामा व तहसीलदार एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर दोनो पक्षो के सहमति के हस्ताक्षर है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा व तहसीलदार संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट का भली–भांति अवलोकन किया गया। राजीनामा व तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाता हैः–

क्रियान्विति आदेश

राजीनामा व तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक नं. 5 डीएनजी खाता संख्या 141/82 पं.नं. 180/140 मु.नं. 63 किला नं. 12,13,14 प्रत्येक किला मे से तीन–तीन बिस्वा (साईज 25X495) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें। राजीनामा व तहसीलदार संगरिया की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

क्रमांक : रीडर / 18 / दिनांक :–

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 45 / 2019 अनवान हरप्रीत सिह बनाम केवल सिह आदि में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 45 / 2019 अनवान हरप्रीत सिह बनाम केवल सिह आदि में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2019 की प्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः निर्णय की प्रति

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया